एम.ए.सी.पी. संख्या २०३/२०१७,
१. श्रीमती राम देवी उम्र ३७ वर्ष पत्नी स्व. श्री कैलाश अहिरवार
२. सानू उम्र २० वर्ष पुत्र स्व. श्री कैलाश अहिरवार
३. दीपक उम्र १६ वर्ष पुत्र स्व. श्री कैलाश अहिरवार
(याची सं. ३ की नेचुरल संरक्षक श्रीमती राम देवी माता)
पता- रानी महल के पास, अग्रवाल धर्मशाला, झाँसी

-----------याचीगण।

प्रति

१. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री पवन यादव निवासी नदन वारा थाना जखौरा जिला ललितपुर
.... मालिक वाहन सं. यू.पी. ९४टी २४०६
२. समरत सिंह तनय श्री खिवान सिंह यादव निवासी ग्राम गडिया थाना बार जिला ललितपुर
.... चालक वाहन सं. यू.पी. ९४टी २४०६
३. चोला मण्डलम् जनरल इश्योरेन्स कं. हजरत गंज, लखनऊ
...........बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी. ९४टी २४०६

-----------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री अनुज चन्द्र श्रीवास्तव
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

<u>०१.११.२०२०</u>

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २१बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी कि विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २१बी सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। २१बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ५,५०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २१बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २१बी में दर्शित कुल ₹ ५,५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत हैं, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५,५०,००० (पाँच लाख पचास हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.सी. कोड सं. PUNB०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याची सं. ३ दीपक वर्तमान में वयस्क हो चुका है। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २ व ३ क्रमशः ३५, ३०, ३५ प्रतिशत धनराशि प्राप्त करेंगे तथा उक्त याचीगण सं. १, २ व ३ को प्राप्त होने वाली धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत धनराशि वे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत धनराशि का उनके नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 15:09:20 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi